JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की भूमिका।"

Kanchan Kumari

सांराश :–

किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास में महिलाओं की महती भूमिका होती है। आज का समाज भले ही शिक्षित हो गया है लेकिन वह महिलाओं के वारे में पाश्चाव्य एवं मध्ययुगीन सोच रखता है। जिसके कारण पुरूष–महिलाओं के जन्म दर में काफी अंतर है, जो महिला सशक्तिकरण न हो पाने को इंगित करता है। इसके अलावा दहेज, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के नाम पर अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। महिलाओं को सशक्त व जागरूक बनाने में सभी देशों, विभिन्न संगठनों, राज्य सरकारें ने कई प्रयास किये। उसमें एक सार्थक प्रयास महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी किया जा रहा है। जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास करते हुए क्षेत्र में कई कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया ताकि महिलायें पूर्ण रूप से सशक्त होकर देश के विकास में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें।

परिचयः आज इक्कीसवीं सदी में महिलायें पिछड़ी व उपेक्षित रहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उन्हें अन्य स्वतंत्रता के साथ–साथ अवसर की स्वतंत्रता समान रूप से मिले और इस स्वतंत्रता की सवीकृति सामाजिक मान्यताओं के रूप में हो। सशक्तिकरण का अर्थ है महिलायें निर्णय लें, उसे अमल में लायें और सामाजिक स्वीकृति दिलायें। समाज के विभिन्न वर्गों तक निर्णय को पहुंचाये। स्त्री के लिए यह भी जरूरी है कि जीवन पर अपका नियंत्रण हों। वह पिता, पति या बेटे के नियंत्रण में ही नहीं है, यह भय होना चाहिए। किसी भी काम में उसकी भागीदारी बराबर की हो। कोई घर, परिवार जिन चीजों से बनता है। जिन विचारों पर खड़ा होता है, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। यहीं नियंत्रण परिवेश और समुदाय पर भी लागू होना चाहिए। भारतीय परम्परा में जैविक

या लैंगिक अंतर के आधार पर स्त्री और पुरूष को अलग किया गया है। जीवन सामाजिक तौर–तरीके और कार्य–व्यापार के अलग–अलग मापदण्ड तय किये है लेकिन सामाजिक परम्परा को निर्माण तो पुरूष वर्ग ने ही किया है। पुरूषों को जो उचित लगा अपने लिए जो भी तर्कसंगत, सुविधाजन लगा, उसके हिसाब से नियम निर्धारित कर लिए। जरूरत इस बात की थी कि शक्ति के रूप में व्यावहारिक रूप से लागू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही तत्व स्त्री सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है। पुरूष वर्ग ने स्त्री की जो आदर्शवादी छवि निर्मित की है उसे तोड़ना होगा, क्योंकि यह स्त्रियों पर लादा गया है। इस आदर्श के पीछे ही भेदभाव और उत्पीड़न छिपा है जिसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है और उसी मूल्य के भीतर लैंगिक भेदभाव है। विकास का अर्थ स्त्री–पुरूष के लिए अलग–अलग अर्थो में भी न्यायसंगत होगा उसे अलग–अलग अर्थ में ही स्वीकृति मिलनी चाहिए तभी सशिक्तकरण होगा। संसद या पंचायत को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। आज भी कहा जाता है कि स्त्रियॉ स्वयं निर्णय हनी लेती, बल्कि उसके पिता, पति और पुत्र लेते है।

महत्वपूर्ण शब्द : PSSY,महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना।

महिलाओं के सशक्तिकरण को महत्वता को समझते हुए सरकार ने महिलाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ किया है, जिसमें प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है, क्योंकि यह योजना मूल रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, और अकसर यह कहा जाता है कि ''स्वास्थ्य ही धन है।''

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजनाः–

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की सबसे सफलतम योजनओं में से एक है। सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसे–बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत हरियाणा के पानीपत में की। यह योजना भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

महिलाओ को सबल बनाना ही सत्त विकास की नींव है। समर्थ होने पर ही महिलायें अपना जीवन–यापन सही ढंग से प्रगति कर सकती है। सबल होन पर ही महिलाओं में आत्मविश्वास एवं लक्ष्य के प्रति परिबद्धता आती है। प्रतिबद्धता आने पर ही महिलाये अपनी आशा आकांक्षाएँ स्वप्न और पिरकल्पनाओं को पूरा कर भविष्य के प्रति जागरूक बन सकती है। जागरूकता आने पर ही महिलाये राष्ट्र और समाज के सर्वागीण विकास में अपना योगदान दे सकती है। राष्ट्र के उत्थान एवं समाज के बहुमुखी विकास के लिए यह जरूरी है कि महिलाओं को सशक्त और उन्नति के समुचित अवसर दिलाए जाए एवं उन्हे शोषण अत्याचार कुपोषण भेदभाव तथा मानसिक प्रताड़ना से बचाया जा सके।

❖ इस योजना को लागू करने का उद्देश्य :–

1. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्या का पता लगना।
2. महिलाओं के सशक्तिकरण में सुकन्या समृद्धि योजना के योगदान का विश्लेषण करना।
3. सुकन्या समृद्धि योजना का लड़कियों के विचार का प्रभाव का अध्ययन करना।
4. लड़कियों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।
5. सुकन्या समृद्धि योजना के प्रीत व्यक्तियों के जागरूकता में अध्ययन करना।
6. सुकन्या समृद्धि योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।

महिलाओं को सभी तरह के शोषण अत्याचार एवं प्रताड़ना एवं उन्हे सर्वागींण रूप से सशक्त बनाने के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारम्भ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के तहत किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश की बेटियों के लिए बचत खाता खोला जाता है। इस योजना को सुकन्या समृद्धि खाता भी कहते है। इस योजना के तहत 10 साल से कम आयु की कन्याओं का खाता पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बैंक तथा अनय एजेंसी के माध्यम से खोला जा सकता है। बेटी के 21 साल के होने पर अकांउट मैच्योर हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना कम से कम 250 रूपये और अधिकतम 150 लाख रूपये जमा किया जा सकता है। इससे जमा की जाने वाली राशि पर जायकर अधिनियम की धार 80 सी0के0 तहत कटौती का लाभ मिलता है। इस योजना के आर्थिक के साथ साथ समाजिक आयाम भी महत्वपूर्ण है। इससे जमा होगी यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण के द्वारा भविष्य में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेज :–

सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरूआत ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत की गयी है। जिसके अंतर्गत मता–पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते है। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है।

खाता खोलने के लिए तीन दस्तावेजों की आवश्यकता हैः– 1. अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र 2. लड़की के माता–पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्य अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्लेख हो, 3. पेन कार्ड या हाईसकूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्य है। खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अधिकृत बैंकः जो बैंक योजना के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत हैं उनमें भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑ इंडिया, युनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, आई0डी0बी0आई0 बैंक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, सेन्ट्रल बैक ऑफ बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं।

ब्याज दर :–

योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक ब्याज निम्न वर्णित तालिका के आधार पर दिया जाएगा। यह अन्य जमा योजनाओं से अधिक आकर्षक ब्याज दर है। सरकार हर प्रीत तिमाही ब्याज दर की समीक्षा करेगी और आम बजट के समय उसकी घोषणा की जाएगी। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्यूनतम सीमा 250 रूपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रूपये है। एक महीने में या एक वित्त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारम्बारता की कोई सीमा नहीं है। अभिभावक द्वारा 14 वर्ष तक किए गए निवेश के आधार पर ही SSA के अंतर्गत ब्याज का लाभ प्राप्त होता है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनके सशिक्तिकरण में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की भूमिका।

शोध प्रविधि :– इस शोध में द्वितियक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन :–

वही.एम. जुर्टी (2001) ने अपने अध्ययन में '' जनजातीय महिलाओं की शिक्षा रोजगार तथा व्यावसायिक परिवर्तन का एक अध्ययन'' में वह निष्कर्ष पाया कि आदिवासी महिलाओं में विकास के लिए शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार व्यवसाय आदि में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बताये गये क्रर्यक्रमों की जानकारी का विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हो चुका है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों को सूचना–माध्यमों की कर्मी के कारण विकास कार्यक्रमों की जानकारी नहीं मिल पाती है।

- ❖ सी. जयंती (2003):– शहरीकरण के कारण धीरे–धीरे सामाजिक पिरदृश्य बदला है और इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुभव किया जा रहा है। समाज के सभी स्तरों पर महिलायें भी कामों में भागीदार बन रही है और उनका योगदान स्वीकार किया जा रहा है। भविष्य में अधिक महिलाये परम्परागत रूप में पुरूषों के प्रभुत्व में आने वाले क्षेत्रों में काम करने लगेगी। सरकार ने उदारीकरण का लक्ष्य अपनाकर काफी सीमा तक समाजिक परिवेश को बदल दिया है। ऐसा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इससे आय के साधन पैदा हुए है और समाज के सभी वर्ग की महिलाओं में आत्म संतुष्टि या परितोष का भाव विकस्ति हुआ है। निस्संदेह में महिलायें अपनेबल पर अधिक–अधिक बड़ औद्यौगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने में सफल होगी।
- ❖ आशा कौशिक (2008): अध्ययन किया कि नारी अधिकारों के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की श्रृखंला में भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति (2008) एक उल्लेखनीय कदम है भारत सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के उचित निराकरण के लिए एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था में स्थिति का आकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण, आवास, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौधोगिकी के संदर्भ

में महिलाअें की स्थिति बालिका प्रस्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है।

- ❖ मीनाक्षी श्रीवास्तव (2012) के अनुसार आज भारत में कार्यशील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा महिलाये घरों से निकलकर रोजगार के क्षेत्र में कदम रख रही है, लेकिन वास्तवविकता यह है कि उच्च या माध्यम स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या मामूली है जबकि निम्न तथा असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है सशक्तिकरण से श्रमिक महिलायें दूर है। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हे भी मध्यम और उच्च स्तर पर कामयाव महिला बनाने का अथक प्रयास किया जिसका उदाहरण उनकी विभिन्न योजनाएं है। जिससे महिलाओं ने काफी उन्नति की है।
- ❖ प्रमिला कपूर (2016) के अनुसार आजादी के तुरंत बाद से ही भारत सरकार ने बालिका शिक्षा की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू कर दिए थें। इसी कारण भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न विभागों आयोगों एवं समितियों का भी गठन किया गया ताकि शिक्षा की सह में आने वाली बाधाओं को समझा जा सके और फिर उसका निराकरण किया जा सकें। सरकार के इन प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और अब बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार अपेक्षा से काफी बढ़ गया है। लेकिन यह संतुष्ट होकर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाने का समय नहीं है, बालिका शिक्षा की दिशा में हमें अभी काफी कुछ करना है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. वियोगी (डॉ) कुसुम (2001) ''दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियॉ :– ललित प्रकाशन, दिल्ली।
2. जुर्री व्ही.एम. (2001) ''जनजातीय महिलाओं की शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक परिवर्तन का एक अध्ययन'' शोध प्रबंध–2001 पेज नं0–175
3. श्रीमती सी. जयन्ती (अगस्त 2003) आर्थिक विकास के नए परिवेश में महिला उद्यमियों का योगदान, योजना पत्रिका दिल्ली।
4. मेनन रितु (2005) ''कर्मठ महिलाये'' नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

5. नतानी प्रकाश नारायण (2010) महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन जयपुर।
6. शुक्ला (डॉ) मंजु (2011) महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण भारत प्रकाशन, लखनऊ
7. मिश्रा (डॉ) आर.के. (2011) राष्ट्रीय शोध संगोष्टी 2011 भोपाल मध्यप्रदेश
8. श्रीवास्तव (डॉ) मीनाक्षी (2012) कामकाजी महिलायें वासतिक स्थिति हरिप्रकाशन दिल्ली
9. शर्मा कविता (2012) ''स्त्री सशक्तिकरण के आयाम'' रजत प्रकाशन नई दिल्ली।
10. कपूर (प्रो0) प्रेमिला (2012) स्त्री शिक्षा एक मुल्याकन, हरि प्रकाशन दिल्ली।
11. सक्सेना वंदना (2013) महिलाओं का संचार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली।